

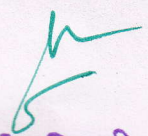
परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

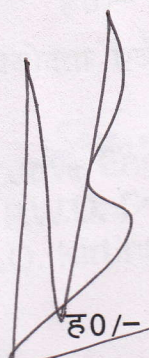
एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी....V
2. हरियाली का घनत्व.....0.4
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०....@ 845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.99 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रु० 836550.00


वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेली


ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेली

प्रारूप-51परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढेतरती की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

P. J. E

AE

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि० श्री
मु० कीर्तिनगर

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

15/05/2015
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

नोट - सिविल भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है। लीज रेन्ट पर भूमि नहीं ली जानी है।
अतः प्राप्ति लागू नहीं है

Pri.
JE

AE

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, ल० नि० प० भूमि
मु० कीर्तिनगर

ह०/-

प्रयोक्ता ऐजन्सी

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि लीज पर नहीं ली जानी है। अतः प्रस्तावित भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित की जानी है। अतः प्रारूप लागू नहीं है।

Pd'
P.J.E

AL
AE

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

12/05/15
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar